

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां  
प्रकरण संख्या - 23/2021  
पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

1 जरीना बैगम पत्नि फखरुद्दीन नीलगर उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला  
भीलवाड़ा \_\_\_\_\_ (प्रार्थी)

बनाम

- 1 रफीक मोहम्मद पिता रमझुद्दीन नीलगर उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला  
भीलवाड़ा
- 2 घीसालाल पिता नाथू तेली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 3 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

\_\_\_\_\_ (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी स्वयं


प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 15.11.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय  
मे दिनांक 16.02.2021 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम फुलियाकलां पटवार मण्डल फुलियाकलां भूअ.  
नि. फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 1399 के आ.न. 5915/3807  
रकबा 0.24 हैक्टर भूमि स्थित हैं। विपक्षीगण उक्त वर्णित आराजीयात के पड़ौसी/सहखातेदार हैं। प्रार्थी एवं  
विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं।  
जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर  
पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।


प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 17.02.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को  
वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है।  
किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण अपना पक्ष रखने, हाजिर नही आये। इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन  
गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम फुलियाकलां दिनांक 15.11.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। प्रस्तुत  
प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली  
पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं  
कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की  
कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

  
सहायक कलक्टर -  
एफ ख-उ अधिकारी  
फुलिया व.स. (भा.घ.)

## आदेश


प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम फुलियाकलां पटवार मण्डल फुलियाकलां भू.अ.नि. फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 1399 के आ. न. 5915/3807 रकबा 0.24 हैक्टर भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक फुलियाकलां को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकलां को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम फुलियाकलां के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 सहायक कलेक्टर (भ.अ.नि.) वं  
 उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां  
 जिला भीलवाड़ा  
 फुलियाकलां (भ.अ.नि.)

प्रतिलिपि-

- 1 तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ प्रेषित है।

  
 उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां  
 सहायक कलेक्टर  
 जिला भीलवाड़ा  
 उपखण्ड अधिकारी  
 फुलियाकलां (भ.अ.नि.)